

**ग्राम पंचायत ताल, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.14 से 31.03.17**

भाग- एक

1. (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत ताल, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-
प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री रणवीर ठाकुर	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमति निशा रानी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री राजीव कालिया	01.04.14 से 31.10.16
2	श्री अशोक कुमार	31.10.16 से 09.01.17
3	श्रीमति सवि कुमारी	10.01.17 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत ताल, विकास खण्ड भोरंज के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्र० सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना	-
2	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.23
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	24.88
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.71

5	8	13वें वित्त आयोग से दोहरा भुगतान	0.24
6	9	लोक निर्माण विभाग से निर्माण कार्य के निष्पादन का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	-

भाग- दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत ताल, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2014 से 03/2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्द्र कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 11.08.17 से 17.08.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया I लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया I

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	06/2014	12/2014
2015-16	06/2015	01/2016
2016-17	12/2016	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा I

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत ताल, विकास खण्ड भोरंज, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2014 से 3/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है I उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 465(a) दिनांक 17.08.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 073682 (PNB) दिनांक 28.08.17 को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया I

4. वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत ताल, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्रोत :- ग्राम पंचायत ताल, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	77531	10709	88240	10811	77429
2015-16	77429	10810	88239	19032	69207
2016-17	69207	74827	14403	44972	99062

4

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत ताल, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	1367439	2509785	3877224	1842293	2034931
2015-16	2034931	2068202	4103133	2348457	1754676
2016-17	1754676	2719394	4474070	1985783	2488287

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रोत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹99062

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹2488287

कुल अन्तशेष : ₹2587349

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹2586975.93

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि : ₹373

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN-A, PNB -00946	98688.99
GEN-B, PNB -09691	475860.99
13th & 14th FC, PNB -02935	1974329.49
RAY, PNB -43075	27599
IAY, PNB -43084	2551
MLA, PNB -43109	7946.50
MNREGA, PNB -01848	0
कुल राशि	2586975.93

4.1 रोकड़ वही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत ताल की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण

अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 **पंचायत राजस्व ₹0.23 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना :-**

पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि गृहकर, किराया एवं शादी पंजीकरण फीस के रूप में वसूली हेतु ₹23340 शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें एवं नियमानुसार गृहकर का रजिस्टर भी तैयार करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व ₹23340 की वसूली शेष थी।

1. गृहकर :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	32640	16320	48960	0	48960
2015-16	48960	16580	65540	1320	64220
2016-17	64220	16820	81040	60340	20700

2. दुकानों का किराया :

वर्ष	अथशेष	किराये की मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	0	0	0	0	0
2015-16	0	0	0	0	0
2016-17	0	1500	1500	0	1500

3. शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹1140 की कम वसूली :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण फीस ₹200 (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹ 400/- (बी.पी.एल.परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है। जांच में पाया कि अवधि 01.11.16 से 31.03.17 तक ग्राम पंचायत में कुल 12 विवाह पंजीकरण हुए थे जिसके अन्तर्गत ₹1140 पंजीकरण फीस के रूप में कम वसूल किए गए थे जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

अवधि	कुल पंजीकरण	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
01.11.16 से 31.03.17	12	1. BPL, 1 X 25 = 25 2. APL, 11 X 200 = 2200 कुल शुल्क = 2225/-	1085/-	1140/-

6 **अनुदान ₹24.88 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹2488287 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के

स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹0.71 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-2 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹71365 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 13वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान राशि से ₹0.24 लाख ओवोवसका दोहरा (Double) भुगतान :-

वाउचर संख्या 114 दिनांक 14.02.17 (13 वें वित्त आयोग) की जांच में पाया कि निर्माण कार्य "नि. सड़क व नाली गाँव राहजोल" हेतु बिल संख्या 11 दिनांक 01.01.17 द्वारा मैसर्ज रविन्द्र कुमार को रेत, बजरी व पत्थर की आपूर्ति हेतु ₹ 24450 का भुगतान किया गया था, जबकि उक्त बिल का भुगतान वाउचर संख्या 137 दिनांक 03.03.17 (13 वें वित्त आयोग) द्वारा उक्त कार्य हेतु चैक संख्या 904179 दिनांक 03.03.17 द्वारा पुनः कर दिया गया था, जिससे उक्त बिल का दोहरा भुगतान करके पंचायत को हानि पहुंचाई गई थी। उक्त अनियमितता की सूचना अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षण अधियाचना संख्या 465 दिनांक 17.08.17 द्वारा पंचायत सचिव को दी गई थी, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 146 दिनांक 17.08.17 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त अनियमित भुगतान ₹ 24450 की वसूली रसीद संख्या 271901 दिनांक 17.08.2017 द्वारा करके दिनांक 28.08.2017 को बैंक खाता संख्या 2056000100502935 (PNB) में जमा कर दी गई थी, जिसकी पुष्टि भी अंकेक्षण द्वारा कर ली गई थी। अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये।

9 लोक निर्माण विभाग से निर्माण कार्य के निष्पादन का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना :-

वाउचर संख्या 100 दिनांक 12.01.16 की जांच में पाया कि चैक संख्या 166684 दिनांक 12.01.16 द्वारा 13वें वित्त आयोग से ₹ 200000/- की राशि अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (बड़सर) को कार्य "नि. सम्पर्क मार्ग उप-स्वास्थ्य केन्द्र गाँव अमनेड से लेकर किशन सिंह के घर तक" के निष्पादन हेतु भेजी गई थी। लेकिन इस कार्य के निष्पादन का उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायत

द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था जिससे उक्त कार्य पर किए गए वास्तविक व्यय का पता नहीं चल सका। अतः अंकेक्षण के दौरान इसकी सूचना अंकेक्षण अधियाचना संख्या 465 दिनांक 17.08.17 द्वारा इसकी सूचना पंचायत सचिव को दी गई थी, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या 146 दिनांक 17.08.17 द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि उक्त कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबन्धित विभाग से ले लिया जाएगा। अतः उपयोगिता प्रमाण पत्र लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें एवं यदि व्यय जमा राशि से कम हुआ होगा तो शेष राशि को भी प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

10 विहित रजिस्ट्रों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर का रजिस्टर तैयार न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. रसीद बुकों का इन्द्राज भण्डार रजिस्टर में न करना।
6. अवधि 08/16 से 03/17 तक सीमेंट का रख-रखाव भण्डार रजिस्टर में न रखना।

11 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 लघु आपत्ति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/-
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009
फोन नं० 0177-2620046

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)32/2017 खण्ड-1-132-135 दिनांक 06.01.2018

शिमला-09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला-171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भोरंज, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर हि0प्र0
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत ताल, विकास खण्ड भोरंज, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/-

(ज्ञान चन्द शर्मा)

सहायक निदेशक

स्थानीय लेखा परीक्षा

हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009

फोन नं0 0177-2620046